राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांकःएफ 27(16)ग्राविवि/आईएवाई/स्वच्छ शौचालय/ग्रुप–5/2013–14 जयपुर, दिनांक 18 जून, 2013

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद (समस्त),
राजस्थान।

विषयः–ग्रामीण बीपीएल आवासों के लाभार्थीयों को महात्मा गॉधी नरेगा योजना एवं निर्मल भारत अभियान के कर्न्वजेन्स से शौचालय निर्माण बाबत।

प्रसंगः–विभागीय पत्र क्रमांक एफ 27(110)ग्रवि/अनु 5/सीएमबीपीएल–एनबीए/जिला/2012–13 दिनांक 29.01.2013, एफ 27(16)ग्राविवि/इआ./शौचालय/अनु 5/2013–17 दिनांक 06.06.2013 एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक 16.05.2013 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक पत्रों द्वारा कर्न्वजेन्स के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये थे, जिसमें जिला स्तर से एक ही अधिकारी द्वारा तीनों योजनाओं (आवासीय योजना, निर्मल भारत अभियान एवं महात्मा गॉधी नरेगा) शौचालय की स्वीकृति "मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला समन्वय (ई.जी.एस.)" द्वारा जारी किये जाने के निर्देश दिये गये थे। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ (आवास शाखा) द्वारा आवास की द्वितीय किश्त के भुगतान के समय "महात्मा गांधी नरेगा" की मस्टररोल जारी कराना तथा "निर्मल भारत अभियान" से देय प्रथम किश्त की राशि 3000/– रूपये का भुगातन लाभार्थी के खाते में हस्तानांतरित करने के निर्देश दिये गये थे। इस सम्बन्ध में दिनांक 12.06.2013 को अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में यह ध्यान में लाया गया कि निर्मल भारत अभियान के अर्न्तगत शौचालय की स्वीकृति एवं राशि हस्तान्तरण की कार्यवाही जिला परिषदों के आवास प्रकोष्ठ शाखा द्वारा नहीं की जा रही है, बल्कि यह कार्य "निर्मल भारत अभियान" के स्टाफ द्वारा किया जा रहा है।

इस संबन्ध में पुनः लेख है कि कर्न्वजेन्स से सम्बन्धित निर्देशों की कड़ाई से पालना की जावें, तथा आवास प्रकोष्ठ शाखा द्वारा ही ग्रामीण आवासों के लाभार्थीयों को शौचालय निर्माण की स्वीकृति एवं राशि हस्तांतरण किया जाना सुनिश्चित किया जावें। इसके अतिरिक्त ग्राम सेवक/कनिष्ठ अभियन्ता/जेटीए को आवास के साथ–साथ शौचालय का भी निरीक्षण कर फोटो लेना भी सुनिचिश्त करें।

(कुलदीप रांका)
शासन सचिव